



THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

24 Bhadra, 1942 (S)

No. 448

Ranchi, Tuesday, 15th September, 2020

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification No. 41/2020 – State Tax

S. O. No. 61, Dated- 15th September, 2020 - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 44 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with rule 80 of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), and in supersession of notification No. 15/2020-State Tax, dated the 25th June, 2020, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S. O. No. 38, dated the 25th June, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing of the annual return specified under section 44 of the said Act read with rule 80 of the said rules, electronically through the common portal, for the financial year 2018-2019 till the 30th September, 2020.

[File No. VaKar / GST / 01/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Akanksha Ranjan
Commissioner, Commercial Taxes Department.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना संख्या. 41/2020-राज्य कर

एस. ओ. सं. 61, दिनांक 15 सितम्बर, 2020 - आयुक्त, झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (1) के साथ पठित झारखंड माल और सेवा कर नियमावली (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और झारखंड के राजपत्र, असाधारण, में एस. ओ. सं. 38, तारीख 25 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 15/2020-राज्य कर, तारीख 25 जून, 2020 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद की सिफारिशों पर, वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 44 के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम 80 के अधीन विनिर्दिष्ट वार्षिक विवरणी को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की समय सीमा को 30 सितम्बर, 2020 तक बढ़ाते हैं।

[सं.सं.वांकर/जी०एस०टी०/01/2020]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

आकांक्षा रंजन

आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग
